

सुभाष चन्द्र बनाम सुगनाराम व राज्य
अपील इंतकाल प्रकरण सं. 60 / 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर तारीख
17.09.14	<p>अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील में मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जावे।</p> <p>स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट के अधिवक्ता को सुना गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त बिना रैस्पोंडेंट्स की सुनवाई किये एक पक्षीय स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः रैस्पोंडेंट को जरिए सम्मन तलब किया जावे। रैस्पोंडेंट की तलबी के उपरान्त स्थगन प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षों को सुनकर गुणदोष के आधार पर स्थगन आदेश पारित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकार्ड तलब करें। पत्रावली वास्ते वहस स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2014 को पेश हो।</p>	N.I. 17.0
23.9.14.	<p>अपीलांट के Adv. उपो. रैस्पोंडेंट्स के अतिरिक्त श्री राजा राम विश्वास जी ने द्वायतमसा पेश किया था जिसके अतिरिक्त रैस्पोंडेंट्स के अतिरिक्त से D.A. उपो. स्थगन पत्र पर व अतिरिक्त के बिन्दु पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश पत्र दि. 24.9.14 को पेश हो।</p>	
24.09.14	<p>अभिभाषक उभय पक्ष उपो. पीठमन अधिकारी के व्यस्त रहने के कारण आदेश पूरी लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश पत्र दिनांक 26.09.14 को पेश हो।</p>	
26.9.14.	<p>अभिभाषक उभय पक्ष उपो. अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने से आदेश नहीं लिखा जा सका।</p>	

कार्यालय टिप्पणी श्रीमंगलनगर (राज.)

75/15 अतिरिक्त उसाय पक्ष उपर वदस हेतु सुसय - वाडा। पत्रावली वास्तु वदस दि० 11-6-15 को पेश की

11 6/15 अतिरिक्त उसाय पक्ष उपर वदस हेतु सुसय - वाडा। पत्रावली वास्तु वदस दि० 25-6-15 को पेश हो।

256/15 पत्रावली पेश हुई। अपील के Adv. को बक-2 कर, वार-2 आवाजे खगई गई। अपील के Adv. को वार 2 आवाजे खगाने के कारण उपरिष्ठत नहीं होने से प्रस्तुत अपील अदस परकी, अदस डोजरी से खारिज की जाती है। अदस की प्रति अदलीठ न्यायालय को भेजी जावे। पत्रावली केसल सुसर की जाकर वाद तकसीय वास्तु दफ्तर हो। अदस सुवे न्यायालय में सुजाया गया।



25/6/15 अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीमंगलनगर (राज.)